अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 5451 / नौ–5–2011–147सा / 10

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।**

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः: दिनांक 03 नवम्बर, 2011

विषयः पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 द्वारा प्रख्यापित एवं 02.07.2011 द्वारा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 का अनुपालन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–209 दिनांक 04.02.2011 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 के क्रम में संशोधित अधिसूचना संख्या–1258 दिनांक 02.07.2011 के द्वारा संदर्भित अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 के नियम–5 (6) में यह व्यवस्था की गयी कि प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैकिंग के लिए नहीं किया जायेगा।

2. उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.07.2011 की प्रति संलग्न है। उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित नियम संख्या–4, 5, 6 एवं 10 में निम्नानुसार उपबन्ध किये गये हैं:

" 4. विहित प्राधिकरण :

विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत है–

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी:

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्व नगर पालिका प्राधिकरण होगी।

5.शर्तेः

कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्ते पूरी की जायेंगी, अर्थातः

(क) कैरी बैग या तो प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाये गये रंजकों के बिना हैं, या केवल उन रंजकों और रंगको के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थो और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक के उपयोग के लिए समय–समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 9833: 1981 के अनुरूप है:

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगा:

(ग) कोई व्यक्ति, किसी अप्रयोज्य या पुनःचक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार वितरण या विक्रय नहीं करेगा:

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा:

(ड.) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुरूप होंगे:

(च) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा. /भा.मा.सं. 17088: 2008 के अनुरूप होगें:

(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैंकिग के लिए नहीं किया जायेगा:

6.प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध:

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगा:

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या व्ययन समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगा:

(ख) प्लास्टिक का पुनःचक्रण, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगा:

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना:

(ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो:

(iii) विनिर्माणकर्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना: